# रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

## शत प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति में संचालित होंगे कार्य

## रादुविवि प्रशासन ने जारी किया आदेश, कुछ विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 तो कहीं 100 प्रतिशत होगी, ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं

जबलपुर 01 जून। रादुविवि प्रशासन ने मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन एवं मान. कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों, प्रशासनिक विभागों में कार्यलयीन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं। रादुविवि प्रशासन द्वारा जारी आदेश में विश्वविद्यालय के सभी कार्यलयीन कार्य प्रारंभ किये जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्य प्रशासनिक भवन के सभी विभागों में अधिकारियों की उपस्थिति 100 प्रतिशत होगी, ताकि परीक्षा संबंधी तैयारियों से लेकर परिणाम और अन्य कार्य तेजी से सम्पादित हो सकें। प्रभारी कुलसचिव प्रो. एनजी पेण्डसे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा, गोपनीय विभाग, सुरक्षा, कम्प्यूटर सेंटर तथा अत्यावश्यक सेवाओं में सम्मिलित है। अतः इसमें कार्यरत कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थित होंगे।

वहीं प्रशासनिक, शिक्षण विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसका निर्धारण संबंधित विभागाध्यक्ष, विभाग प्रमुख, अधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार किया जाएगा। साथ ही शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरभाष पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसकी एक सूची बनाकर (कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नंबर के साथ) प्रशासन को तत्काल भेजने को कहा गया है। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा।

### विभागों में हुआ सेनेटाईजेशन

रादुविवि में कामकाज प्रारंभ होने के पहले मुख्य प्रशासनिक भवन सहित सभी विभागों का सेनेटाईजेशन कराया गया। सभी अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों से कहा गया है कि वे कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में निर्धारित मापदण्डों का पालन करेंगे। कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण हुआ या नही इसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

### छात्र–छात्राओं का प्रवेश वर्जित

विश्वविद्यालय कार्यालय में छात्र–छात्राओं एवं आम व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जाएगा। सभी शैक्षणिक विभागों में अध्यापन कार्य ऑनलाईन माध्यम से संचालित होंगे। उक्त दिशा निर्देश 01 जून, 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।